

2014/00357

Camp.

वापस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
183/14	53, 88, 89 RTA	पीपलछेड़ी	हो 95)
183/14 वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
नाथुलाल	बनाम	रामदेवा वर्मा	
अभिभाषक वादी	उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी	
श्री दौलतराम मीणा एड.			
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या
2-12-14	PD-4.10.17 ✓		
कार्यवाही दिनांक			
सम्मन तामीली	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवाद्यक निर्धारण	विविध प्रार्थना पत्र
2-2-15 30-3-15 25-5-15 26-8-15 14-10-15 15-12-15 5-1-16 24-2-16 25-4-16 12/7/16 5-9-16 3-10-16	15/11/16 3-1-17 14-2-17 10-4-17 28/7/17 30-8-17 4-10-17	7785 क.क्र.104	मुताबक कागद के बने पत्र डि. 4-10-17 दिनांक
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस	
अंतरिम एक पक्षीय निवेधाज्ञा		प्राथमिक डिक्री	
स्थगन वादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	स्थगन प्रतिवादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

प्राथमिक - डिक्री

183/2014

धारा अंतर्गत 53, 88, 89 R.A.

निर्णय दिनांक 4/10/2017

श्री नैकराम नागर R.A.S.

स्थिति :- अभिभाषक वादी श्री दौलतराज मीणा

अभिभाषक प्रतिवादी -

वाद शीर्षक

① नाथूलाल (४) रामनारायण (३) रामलाल (५) केशरीवर्मा (६) पात्रा वैद्य पिता-पुत्रलाल
 (७) रामरंजन (८) रामप्रसाद (९) रामचरण (१०) कलावती (११) रामभरोनी पुत्र सुकिया वैद्य
 पिता- वैशीलाल - (१२) सत्यपाल, (१३) शिवशंकर पुत्राण (१४) मेधावैद्य वैद्य (१५) कलावती
 (१६) केशरीवर्मा (१७) कालिदास वैद्य (१८) सुलता पुत्रीय - रामकल्याण - (१९) अगदीरा
 (२०) हमराम (२१) इंदीराल पुत्राण (२२) जानकीवर्मा वैद्य (२३) दीपदी वैद्य (२४) मेधावैद्य
 (२५) शंकर वैद्य पुत्रीया - गोपाल (२६) मधुवैद्य वैद्य - वैशीलाल - चमार (वादीका)

① रामदेवा ② रामकुमार ③ प्रेमवर्मा ④ चन्द्रवर्मा ⑤ सन्तोष वैद्य पुत्रीया ⑥ सुलतावर्मा वैद्य
 पत्नीया - ⑦ सुखलाल ⑧ देवालाल ⑨ रामचरण ⑩ केशरीवर्मा पुत्रीया - वालसुन्दर
 समझा जति चमार १० पीपलखर्डी (११) शंकर जति पटवारी हल्का वापका (१२) तहसीलद्वय
 निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक राजस्व रेकार्ड - राम पीपलखर्डी (प्र.म. वापका) तहसील दुवडा जिला बारां (उतिपदा-रंज)
 २०६७-७०, खाता सं. ६३/६७, २१/३२, २२/२५ में दर्ज हिस्सा अमुंकार दर्ज धारा ३ का
 अच्छी से से अच्छी व उरी से से उरी के विधान अमुंकार वेवारा करे हेतु विमानावका
 जायसि डि ३७ जारी की जाती है, विभागत प्रस्ताप तैयार करे हेतु तहसीलदार छबड़ा को
 फादरिंग बिना जाता है।

खाता सं २१/३२ में वर्तित ख.नं. २६४ ख.वा २.०७ बीघा - वादी नं. १, २, ३, ५, ५, १९, २०, २१
 २२, २३, २४, २५ संकलन का हिस्सा १/३ प्रक हो, रामलाल, सुलता, मकलाल ३०
 शिवशंकर, केशरीवर्मा पुत्र दीपदी वैद्य, पुत्राण केशरीवर्मा वैद्य मेधावैद्य वैद्य हिस्सा
 ५/६ प्रक हो, वदीलाल, दीरावर्मा वैद्य व पुत्रीया हिस्सा १/४ वषा डारका का पाका
 हिस्सा १/३ प्रक होगे - निरन्तर - P.T.O.

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए
 उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 4/10/2017 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
 उप जिला अधिकारी
 छबड़ा जिला बारां (राज.)
 छबड़ा
 P.T.O.

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		